कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 354/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.10.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.10.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना- फूलपुरः शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत करना है कि दिनांक 02.10.2025 वादिनी मुकदमा थाना- फूलपुर, जनपद –आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 01.10.2025 को विपक्षी पवन पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम- मानपुर तलवा थाना- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को स्कूल जाते समय बहला-फूसला कर भगा ले गया तथा शादी की झाँसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0- 478/2025 धारा 137(2)/69/351(3)/352 बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनाक 03.10.2025 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पवन कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मानपुर तलवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को पावर हाउस तिराहा टेउगां के पास से समय करीब 10.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- पवन कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मानपुर तलवा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0-478/25 धारा 137(2)/69/351(3)/352 बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- व0उ0नि0 गंगा राम विन्द मय हमराह का0 सौरभ यादव व का0 इरफान अहमद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

02. थाना फूलपुरः साइबर फ्राड का 11,200 रूपया आवेदक के खातें में वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.09.2025 को मंगला प्रसाद पुत्र रामशब्द निवासी चमराडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ की बहन कविता के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके आवेदिका का रिश्तेदार होने की बात बताकर 11,200 रु0 का साइबर फ्राड कर दिया गया था जिसके सम्बन्ध में कविता द्वारा साइबर हेल्पलाइन नं0 1930 पर शिकायत पंजीकृत करायी गयी जिसका *Ack No.* 3310925*xxxxxxx* है। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए कविता का फ्राड हुआ 11,200 रु0 कविता के खाते में वापस करा दिया गया है।

रूपया वापसी का विवरण:-

मंगला प्रसाद पुत्र रामशब्द निवासी चमराडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ की बहन कविता के साथ फ्राड हुए 11,200 रु0 की जाँच की गयी तो ज्ञात हुआ कि कविता के खाते से कटा 11,200 रु0 से ***https://www.giva.co*** वेबसाइट से ज्वेलरी खरीद लिया गया था। प्रकरण के सम्बन्ध ***www.giva.co*** कम्पनी के नोडल अधिकारी को विवरण से अवगत कराया गया जिस पर नोडल

अधिकारी द्वारा 11,200 रु0 की खरीददारी को रद्द करते हुए भेजे गये नोटिस के अनुसार कविता के खातें में 11,200 रूपया (***REFUND)*** अवमुक्त कराया जा चुका है।

पुलिस टीम का विवरणः-

साइबर टीम थाना फूलपुर जनपद- आजमगढ़

03. थाना अतरौलियाः गैंगस्टर एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 27.07.2025 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा थाना अतरौलिया के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 247/25 धारा 2(***b)(***1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम अभियुक्तगण 1.विजय कुमार पुत्र जगबन्धू निवासी अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2. प्रेमशेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 3.राजन कुमार पुत्र राम किशोर निवासी खपुरा (खानपुर टण्डवा) थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 4.वीरेन्द्र उर्फ विजेन्द्र राजभर पुत्र लालजीत राजभर निवासी बोधीपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों का संगठित आपराधिक गिरोह है जिसका गैंगलीडर विजय कुमार पुत्र जगबन्धू सा0 अचलीपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़आजमगढ़ है। इस गैंग के द्वारा चोरी जैसे जघन्य अपराध अपराध कारित किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

दिनांक 03.10.2025 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त प्रेमशेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे अण्डरपास गदनपुर के नीचे ग्राम गदनपुर से कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 08.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 247/25 धारा 2(***b)(***1)/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986

गिरफ्तार अभियुक्त

1. प्रेमशेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

प्रेमशेखर पुत्र श्रीपत निवासी गनपतपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष

क्र0	थाना	मु0अ0सं0	पंजीकृत धारा
01	अतरौलिया	173/24	457/380/411/413 भादवि
02	अतरौलिया	208/24	379/411/413 भादवि
03	अतरौलिया	247/24	303/317(2)/317(4) बीएनएस
04	अतरौलिया	400/24	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस
05	अतरौलिया	401/24	303(2)/317(2)/317(4) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1 उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

2. हे0का0 मनोज यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

3. का0 राकेश विश्वकर्मा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

04.थाना- फूलपुरः हत्या के प्रयास में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास

अवगत कराना है कि दिनांक 02.10.2025 आवेदक राममिलन यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी ग्राम भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दी कि आवेदक का लडका अंकित यादव उम्र करीब 16 वर्ष के कोचिंग पढ़कर घर वापस आते समय विपक्षीगण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने के लिए लाठी डण्डा, ईट, पत्थर से मारकर बुरी तरह घायल कर देना तथा भाग कर घर आने पर उपरोक्त लोगो द्वारा घर पर आकर पुनः आवेदक के पुत्र अंकित यादव, अंगद यादव, हीरानन्द, व आवेदक तथा आवेदक की पत्नी अनरमा यादव को लाठी डण्डा ईट पत्थर से बुरी तरह से मार पीट कर घायल कर दिया गया व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-475/25 धारा 3(5)/109/115(2)351(3) बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनाक 02.10.2025 को उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लोरिक यादव पुत्र रामकुमार यादव सा0 भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को भोरमऊ मौर्या बस्ती के तरफ जाने वाली रोड पर शारदा नहर पुल के पास से से समय करीब 12.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-लोरिक यादव पुत्र रामकुमार यादव सा0 भाटिनपारा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1-घटना में प्रयुक्त एक अदद लाठी।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0-475/25 धारा 3(5)/109/115(2)351(3) बीएनएस थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय मय उ0नि0 नवनीत सिंह मय हमराह का0 पियुष मौर्या व का0 विनोद कुमार भारती व का0 मुरलीधर पटेल व का0 शिवराम सरोज थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

05.थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़

साइबर जागरूकता अभियान के तहत कस्बा रानी की सराय जनपद आजमगढ़ मे प्रचार - प्रसार कर साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

दिनांक: 03.10.2025 श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा माह अक्टूबर (National Cyber Security Awareness Month) (NCSAM) मे साइबर जागरूकता माह मनाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। जिसके क्रम मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात नोडल अधिकारी साइबर क्राइम व क्षेत्राधिकारी सदर सहायक नोडल अधिकारी आजमगढ़ के निर्देशन मे आज दि0 03.10.2025 को कस्बा रानी की सराय, आजमगढ़ मे साइबर जागरूकता अभियान के तहत साइबर अपराधो जैसे डिजीटल अरेस्ट मे फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, साइबर पुलिस अधिकारी बनकर पैसे की मांग करना , मोबाइल फोन मे फर्जी एप्प डाउनलोड कराकर या लिंक पर क्लिक कराकर ठगी करना , गिफ्ट / लाटरी के नाम पर स्कैम, सोशल मीडिया (इस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट आदि) पर अन्जान व्यक्तियो / महिलाओ से दोस्ती करना, म्यूल अकाउट, फर्जी मोबाइल नम्बर आदि के बारे मे विस्तृत जानकारी देते हुए थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लाउडहेलर चलाकर तथा पम्पलेट वितरण कर प्रचार – प्रसार करते हुए आमजनमानस को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया।

साइबर अपराध की घटना हो जाने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराने तथा साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in की जानकारी दी गई।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी:

- उ0नि0 शिव कुमार उपाध्याय थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- हे0मु0 सुखनन्दन सिंह यादव थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- का0 महिपाल यादव थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़
- म0का0 पुष्पा कुशवाहा थाना साइबर क्राईम, आजमगढ़

प्रेस नोट, दिनांक 03.10.2025

मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

➡ माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन सुनिश्चित करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **मिशन शक्ति विशेष अभियान** प्रारंभ किया गया है।

➡ **मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0** का शुभारम्भ **दिनांक 20 सितम्बर 2025** को **शारदीय नवरात्रि** के पावन अवसर पर किया गया।

➡इसी क्रम में **दिनांक 03 अक्टूबर 2025** को जनपद **आजमगढ़** में श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी महोदय, श्रीमान् पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ महोदय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / नोडल अधिकारी मिशन शक्ति **श्री चिराग जैन** तथा पर्यवेक्षण अधिकारी **श्रीमती आस्था जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सदर** के नेतृत्व में विविध जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गई।

मुख्य गतिविधियाँ:

01.महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा चौपाल कार्यक्रम:

➡ जनपद के विभिन्न **मन्दिरों**, **सार्वजनिक स्थानों**, एवं **पंचायत भवनों** में महिला बीट पुलिस अधिकारियों ने चौपाल लगाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को **सरकारी योजनाओं**, **हेल्पलाइन नम्बरों** (1090, 112, 181, 1930 आदि) की जानकारी दी।

➡ **फुट पेट्रोलिंग** के दौरान रूक-रूककर स्थानीय महिलाओं से संवाद कर उन्हें आत्मरक्षा के प्रति सजग किया गया।

02.एण्टी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग:

➡ जनपद के चिन्हित **हॉट-स्पॉट स्थलों** पर सभी **एण्टी रोमियो टीमों** द्वारा सतर्क निगरानी रखते हुए सघन चेकिंग की गई, जिससे महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास का संचार हुआ।

➡ यह अभियान महिलाओं में **सुरक्षा के प्रति जागरूकता**, **कानूनी जानकारी** और **सरकारी संसाधनों** के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रेस नोट दिनांक: 03.10.2025
जनपद आजमगढ़

🔷सड़क पर चढ़ा शुरूर तो जेल जाओगे जरूर🔷

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के नेतृत्व में नशेबाजों पर की गई बड़ी कार्यवाही-

➡ आपरेशन सड़क पर सुरूर अभियान के तहत जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा नशेबाजों के विरुद्ध की जा रही है कार्यवाही-

➡ सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वाले कुल 38 व्यक्तियों को जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर नियमानुसार धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

➡ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने दिए खुलेआम नशेबाजी करने वालों पर कार्यवाही के निर्देश-

🔷जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें वालों पर कारवाई के निर्देश-

🔷"आपरेशन सड़क पर सुरूर" चलाकर पुलिस उतारेगी नशेबाजों के नशा का शुरूर

🔷कार्यवाही के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति किया जा रहा जागरूक

🔷कानून व्यवस्था को मजबूत रखने एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ ही मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है मकसद

🔷नशे के कारण परिवार को बिखरने से बचाना व युवा पीढ़ी को इस ज़हर से दूर रखना आजमगढ़ पुलिस का उद्देश्य-

👉शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति फेज 5 के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डा0 अनिल कुमार के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर/ग्रामीण) एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में आजमगढ़ पुलिस द्वारा "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों/शराब का सेवन करनें तथा अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के तहत जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को "आपरेशन सड़क पर सुरूर" अभियान लगातार चलाकर शराबी, नशेड़ी एवं अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन करने वाले अभ्यस्त व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं ऐसे संदिग्ध स्थलों (हाट स्पॉट) का चिन्हीकरण करते हुए प्रभावी/विधिक कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये हैं।

🔷आजमगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रहीं बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

➡“आपरेशन सड़क पर सुरूर” अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जा रहा है।

सक्सेस स्टोरी मिशन शक्ति 5.0

थाना गंभीरपुर, दिनांक- 02.10.2025, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति अभियान के तहत पीड़िता/वादिनी को भरण-पोषण हेतु कुल 01 लाख 34 हजार रूपयें इनके पति के द्वारा वादिनी के खातें में जमा कराया गया।

➡ अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रथम आजमगढ़ में लंबित परिवाद मु0न0 21/2016 अन्तर्गत धारा128 दंड प्रक्रिया संहिता व 144 BNSS भरण पोषण हेतु **सविस्ता बनाम आलम** में विचारण के दौरान भरण पोषण हेतु अभियुक्त मो0 आलम पुत्र अबुल कैश निवासी मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को आदेशित किया गया था। परन्तु अभियुक्त उपरोक्त बादस्तूर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा था, जिस क्रम में वसूली वारंट दिनांक 22/008/25 को एक पक्षीय आदेश के क्रम में निर्गत किया गया था।

➡ जिसके अनुपालन में **थाना गंभीरपुर की मिशन शक्ति टीम** द्वारा उक्त अभियुक्त को पकड़ कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुये पीड़िता को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि दिलायी गयी।

➡ उल्लेखनीय है कि अवेदिका की शादी दिनांक- 20/12/2013 को हुयी थी, उसका विवाद दिनांक- 02/03/14 से चल रहा है। उसका एक 11 वर्ष का बच्चा भी है। विवाद से परेशान होकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में 03/04/2014 को वाद योजित किया गया था।

➡ विचारण के क्रम में माननीय परिवार न्यायालय आजमगढ़ द्वारा निर्वाह भत्ता दिलाने हेतु आरोपी उपरोक्त से वसूली कर आवेदिका को दिलाये जाने हेतु मा0 न्यायालय द्वारा वसूली वारंट निर्गत किया गया था।

➡ आवेदिका सविस्ता उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय निरन्तर जाकर उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु पैरवी की जा रही थी। उक्त वसूली वारंट के निष्पादन के क्रम में थाना गम्भीपुर पर नियुक्त उ0नि0 रामाश्रय प्रसाद व महिला हेल्प व मिशन शक्ति केन्द्र गम्भीरपुर की संयुक्त टीम द्वारा अपने अथक प्रयास एवं पूर्ण मनोयोग से तत्परता दिखाते हुए मा0 न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन कराते हुए काफ़ी दिनों से परेशान पीड़िता को अभियुक्त मो0 आलम उपरोक्त से **आवेदिका के यूनियन बैंक के खातें में क्रमशः 49,000 रूपये, 49,000 रूपये, 12,500 व 34000 रूपये (कुल 134500 रूपये) 01 अक्टूबर तक** जमा करवा कर निर्गत वसूली वारंट का निस्तारण कराया गया।

➡ **महिला/वादिनी सविस्ता उपरोक्त के द्वारा आजमगढ़ पुलिस, मा0 न्यायालय व सरकार का धन्यवाद किया गया।**

उत्तर प्रदेश पुलिस

सक्सेस स्टोरी मिशन शक्ति 5.0

थाना रानी की सराय, दिनांक- 02.10.2025, जनपद आजमगढ़

मिशन शक्ति अभियान के तहत पीड़िता/वादिनी को भरण-पोषण हेतु कुल 4 बिस्वा जमीन व 10 हजार रुपये पति के द्वारा पीड़िता के खातें में जमा कराया गया।

➡ अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय प्रथम आजमगढ़ में लंबित परिवाद मु0नं0 142/2006 अन्तर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता, भरण पोषण हेतु **श्रीमती लालती देवी पत्नी अवधेश निवासी गाहुखोर गोबरही थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़** में विचारण के दौरान भरण पोषण हेतु अभियुक्त अवधेश निवासी गाहुखोर गोबरही थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को आदेशित किया गया था। परन्तु अभियुक्त उपरोक्त बादस्तूर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा था, जिसके क्रम में वसूली वारंट दिनांक 01.10.2025 में एक पक्षीय आदेश निर्गत किया गया ।

➡ जिसके अनुपालन में **थाना रानी की सराय की मिशन शक्ति टीम** द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को पकड़ कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराते हुये पीड़िता को माननीय न्यायालय द्वारा जमीन व निर्धारित धनराशि दिलायी गयी।

➡ उल्लेखनीय है कि अवेदिका की शादी वर्ष 2000 में हुई थी, उसका विवाद लगभग 16 वर्ष पूर्व से चल रहा है। पीड़िता का 22 वर्ष का एक लड़का व 18 वर्ष की एक लड़की है। विवाद से परेशान होकर उसके द्वारा माननीय न्यायालय में वर्ष 2006 में वाद योजित किया गया था।

➡ विचारण के क्रम में माननीय परिवार न्यायालय आजमगढ़ द्वारा निर्वाह भत्ता आरोपी उपरोक्त से वसूली कर आवेदिका को दिलाये जाने हेतु वसूली वारंट निर्गत किया गया था।

➡ आवेदिका श्रीमती लालती देवी उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय निरन्तर जाकर उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु पैरवी की जा रही थी। उक्त वसूली वारंट के निष्पादन के क्रम में थाना रानी की सराय, की **महिला हेल्पडेस्क व मिशन शक्ति केन्द्र** की संयुक्त टीम द्वारा अपने अथक प्रयास एवं पूर्ण मनोयोग से तत्परता दिखाते हुए मा0 न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन कराते हुए काफ़ी दिनों से परेशान पीड़िता को अभियुक्त अवधेश उपरोक्त से **पीड़िता के खाते में 10 हजार रुपया जमा कराया गया तथा मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में 4 बिस्वा जमीन पीड़िता उपरोक्त को दिलवाया गया तथा निर्गत वसूली वारण्ट का निस्तारण कराया गया।**

➡ **महिला/वादिनी श्रीमती लालती देवी उपरोक्त ने निर्वाह हेतु 4 बिस्वा जमीन व 10 हजार रुपये मिलने पर आजमगढ़ पुलिस, मा0 न्यायालय व सरकार का धन्यवाद किया गया।**

उत्तर प्रदेश पुलिस